09/02/2023	पत्रावली पेश हुई। पेरोकार उपस्थित। गैर सायल स्वयं उपस्थित। प्रकरण में बहस सुनी गयी। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण प्रस्तुत आदेशिका के माध्यम से किया जाता है। संक्षेप में प्रकरण से सम्बन्धित आवश्यक एवं सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार राजस्व कोलायत ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अधीन अप्रार्थी के विरूद्ध इस आश्य पर दाखिल कि पटवारी हल्का हाडला भाटियान तहसील कोलायत ने दिनांक 18/02/2019 को रिपोर्ट प्रस्तुत की आराजी खसरा नम्बर 358/02 तादादी 3.40 हैक्टर कृषि भूमि वाके रोही ग्राम हाडला भाटियान मे स्थित है का खातेदार बाबुसिंह वल्द जीवराजसिंह राजपुत निवासी हाडला भाटियान है। उक्त भूमि प्रार्थी के कृषि कार्य हेतु धारित की हुई है। लेकिन का इस भूमि में से 0.8 हैक्टर पर अवैध खनन कार्य कर कृषि भूमि का अकृषि कार्य कर उसका स्वरूप परिवर्तन कर दिया है। अप्रार्थी के इस अकृत्य से कृषि भूमि में हानी पद कार्य को अंजाम दिया है। अतः परिणामस्वरूप भूमि को सरकार के पास में रिज्यूम की जावे तथा भूमि जैर प्रार्थना पत्र से अप्रार्थी को बेदखल कर भूमि अप्रार्थी की खातेदारी से हटाकर सिवाय चक दर्ज की जावे तथा कब्जा राज लिये जाने का आदेश दिया जावें। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर इसका अप्रार्थी को नोटिस दिया गया। अप्रार्थी स्वयं बाद नोटिस तामिल के उपरान्त न्यायालय में हाजिर आया। बहस उभय पक्ष सुनी गयी और अभिलेखो पर उपलब्ध सामग्री का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया। प्रार्थी राज्य की और से उपस्थित पैरोकारराज ने जोर देते हुवे यह कहा कि चुकि प्रार्थना पत्र में दिये गये प्रकरणों का अप्रार्थी ने किसी भी प्रकार उतर फाईल करके प्रतिवाद नही दिया है। उपखण्ड अधिकारी कोलायत जिला–बीकानेर

अतः प्रार्थना पत्र में जो भी प्रकथन किये गये है। उन पर विश्वास किया जावे और उस पूर्व कथित तथ्य पर प्रार्थना पत्र को मंजूर किया जावें।

दूसरी तरफ अप्रार्थी न निवेदन किया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र केवल इस आधार पर अनुशात नही की जा सकती कि प्रार्थना पत्र में किये गये प्रकरणों का प्रतिवाद करते हुए कोई उतर फाइल नही किया गया। अप्रार्थी की अनुसार प्रार्थना पत्र में किये गये प्रकरण प्रत्यक्ष रूप से गलत है। एवं स्वयं प्रार्थी द्वारा फाइल किये गये दस्तावेजो साक्ष्य से असंगत है। क्योकि धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक किसी अराजी द्वारा धारित कृषि भूमि से हानी प्रद कार्य होने की स्थिति में ही खातेदारी निस्तरीकरण की कार्यवाही की जा सकती है। तहसीलदार कोलायत द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के समर्थन में न तो स्वयं का और ना ही हल्का पटवारी का ही शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। मौका रिपोर्ट भी गलत व मनमाने तरीके से बनवायी गयी है। जिसके आधार पर अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही खातेदारी अधिकारों की समाप्ति बाबत नही चलायी जा सकती। मोके पर न तो खनन कार्य किये जाने हेतु कोई मशीन व अन्य प्रयुक्त होने वाले साधनों का उल्लेख है और ना ही मजदुरो की संख्या व उनके नाम बताये गये है। पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर मौजूदा कार्यवाही उसमे अप्रार्थी के विरूद्ध न तो संस्थित की जा सकती और ना ही आगे चलायी जा सकती है।

मैने न्यायालय मे उठाये गये परस्पर विरोधी तर्को पर अमन किया एवं मेरी यह राय है कि अप्रार्थी की बहस में साथ ही प्रार्थी तहसीलदार द्वारा अप्रार्थी के खिलाफ की गयी कार्यवाही उसकी पुष्टि हेतु कोई साक्ष्य प्रस्तुत करके प्रमाणित नही करने से कार्यवाही इसी स्टेज पर समाप्त की जाती है। तथा प्रार्थना पत्र प्रार्थी खिलाफ अप्रार्थी अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 09/02/2023 को सुनाया गया। पत्रावली फैशल शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफतर हों।

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला–बीकानेर